



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल - 17

: ☐☐ Phone 2661263,2737446 Fax: 2661263 Website: bsgmp.net E_mail: scoutguide_bpl@dataone.in

क्र० / 5476 / रा०मु० / गति. / 2013

भोपाल, दिनांक 12/12/2013

प्रति,

1. **संभागीय उपायुक्त,**
आदिम जाति एवं अनु.जाति कल्याण विभाग
संभागीय कार्यालय.....
2. **सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.गा.)**
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
संभागीय कार्यालय
3. **सहायक आयुक्त / जिला संयोजक**
आदिम जाति एवं अनु.जाति कल्याण विभाग
जिला

विषय : राज्य स्तरीय स्काउट-गाइड रैली का आयोजन (आदिवासी / अनु.जाति विकास)

सन्दर्भ : राज्य के वार्षिक कार्यक्रम 2013-14 अनुसार।

---0000---

उपरोक्त सन्दर्भ एवं विषयांतर्गत लेख है कि राज्य स्तर पर स्काउट-गाइड रैली का आयोजन किया जा रहा है, निम्न कोटे अनुसार स्काउट-गाइड को सम्मिलित करावें, जिसकी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्यक्रम	विवरण
1	रैली का उद्देश्य	भावनात्मक एकता एवं नेतृत्व क्षमता।
2	कार्यक्रम का नाम	राज्य स्तरीय स्काउट-गाइड रैली
3	अवधि	दिनांक 28.01.2014 से 01.02.2014 तक
4	उपस्थिति	दिनांक 28.01.2014 को प्राप्त: 09 बजे तक शिविर स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है
5	स्थान	राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर भोपाल।
6	शुल्क	(1) पंजीयन राशि : 325.00 रु. प्रति स्का०गा० / स्काउटर / गाइडर (2) शिविर शुल्क : 375.00 रु. प्रति -----"-----" (3) विकास+विशेष : 100.00 रु. प्रति -----"-----" योग - 800.00 रु उपरोक्तानुसार शुल्क एवं संस्था से शिविर स्थल तक मार्ग व्यय आदिवासी विकास एवं अनु.जाति विकास विभाग म.प्र. द्वारा सहायक आयुक्त / जिला संयोजक को आवंटित राशि से किया जायेगा।
7	पात्रता	पंजीकृत दलों के द्वितीय सोपान स्काउट-गाइड जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्काउट-गाइड को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करावें। राज्य पुरस्कार स्काउट-गाइड की सूची इस कार्यालय के पत्र क्र० 4333-34 दिनांक 01.10.13, पत्र क्र० 4552-53 दिनांक 21.10.13 एवं पत्र क्र० 4638-39 दिनांक 24.10.13 से पूर्व में प्रेषित की जा चुके है।

क्र.	कार्यक्रम	विवरण
8	कोटा	स्काउट - 08+01, गाइड - 08+01, कुल - 16+02, प्रति जिला
9	आवश्यक सामग्री	दो जोड़ पूर्ण व्यवस्थित यूनिफार्म, पहनने व बदलने के कपड़े, स्वेटर एवं गर्म कपड़े, भोजन करने के बर्तन, मौसम के अनुसार गर्म बिस्तर, प्रसाधान सामग्री, लेखन सामग्री, पेन, नोटबुक, कलर बाक्स, रस्सी, टार्च, ओडोमॉस, आदि शिविर संबंधी आवश्यक सामग्री।
10	टोलीवार सामग्री	प्लास्टिक शीट, दरी, गैजेट्स सामग्री, हस्तकला प्रदर्शनी सामग्री, कैम्प फायर सामग्री, टेंट सजावट सामग्री, फास्टएड बाक्स, टोली ध्वज, टोली गेट, दल झण्डा, टेंट की बाउण्ड्री हेतु आवश्यक सामग्री, रस्सी, सूतली, कलर पार्टी की सामग्री साथ लावें।
11	सांस्कृतिक कार्यक्रम	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु स्काउट-गाइड सफेद कुर्ता-पजामा, काली जैकेट, लाल दुप्पटा तथा गाइड- चमकीला लंहगा, चुन्नी, लाल ब्लाउज, सफेद लाल किनारी की साडी एवं स्थानीय वेशभूषा, लोकनृत्य की वेशभूषा व सहायक सामग्री साथ लावें।
11	वाद्ययंत्र	हारमोनियम, ढोलक, तबला, झांज आदि वाद्ययंत्र साथ लावें।
12	टोलीवार सामग्री	प्लास्टिक शीट, दरी, गैजेट्स सामग्री, हस्तकला प्रदर्शनी सामग्री, कैम्प फायर सामग्री, टेंट सजावट सामग्री, फास्टएड बाक्स, टोली ध्वज, टोली गेट, दल झण्डा, टेंट की बाउण्ड्री हेतु आवश्यक सामग्री, रस्सी, सूतली, कलर पार्टी की सामग्री साथ लावें।
13	प्रतियोगिता व कार्यक्रम	<p>(01) व्यक्तिगत प्रतियोगिताएँ :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. साहसिक गतिविधियां 2. चित्रकला 3. फेंसी ड्रेस <p>(02) जिलेवार प्रतियोगिताएँ :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शिविर कला एवं अनुशासन 2. कैम्पफायर 3. शारीरिक प्रदर्शन 4. भोजन बनाना <p>(03) संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएँ :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संभागीय गेट 2. पायोनियरिंग प्रोजेक्ट 3. लोक नृत्य 4. मार्च-पास्ट 5. कलर पार्टी 6. फूडप्लाजा 7. बैंड प्रदर्शन 8. स्किलोरमा (लघु उद्योग एवं दक्षता बैज पर आधारित) 9. झोंकी 10. प्रदर्शनी एवं ग्लोबल डेवलपमेंट विलेज <p>उपरोक्तानुसार कार्यक्रमों की तैयारी व सामग्री के साथ सभी संभाग के स्काउट-गाइड को निर्धारित कोटे अनुसार सम्मिलित करावें।</p>

नोट :- निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को पालन करने की अनिवार्यता: होगी।

1. स्काउट के साथ स्काउट शिक्षक तथा गाइड के साथ गाइडर शिक्षिका को ही भेजा जावें। किसी भी स्थिति में पुरुष शिक्षक (स्काउटर) को सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
2. भृत्य के साथ स्काउट-गाइड को शिविर में सम्मिलित न करावें।

3. स्काउट-गाइड के साथ भाग लेने वाले स्काउटर-गाइडर रैली में पूर्ण समय यूनिफार्म में उपस्थित रहेंगे। अतः प्रशिक्षित स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टिन को ही भेजें।
4. स्काउटर-गाइडर अपने साथ भोजन करने बर्तन अवश्य साथ लावें।
5. संभागवार भोजन वितरण किया जावेगा, अतः संभाग अपने साथ भोजन प्राप्त करने के बर्तन अनिवार्य रूप से साथ लावें।
6. विलम्ब से उपस्थित होने वाले स्काउट/गाइड/स्काउटर/गाइडर को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
7. आपके संभाग से रैली में सम्मिलित होने वाले स्काउट/गाइड/स्काउटर/गाइडर की सूची एवं राशि 800.00 रु. प्रति सदस्य के मान से राज्य मुख्यालय भोपाल को **दिनांक 05.01.2014 के पूर्व तक अनिवार्यतः** जमा करें।
8. आपके संभाग को लगने वाली भण्डार सामग्री की सूची (यूनिफार्म) का मांग पत्र एवं राशि के साथ भेजें।
9. संभाग के अंतर्गत यदि एक जिले के कोटे की पूर्ति दूसरे जिले से विशेष कार्यक्रमों हेतु की जा सकती है।
10. यदि अतिरिक्त कोटा चाहते हैं तो इस कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करें।



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल, दिनांक 12/12/2013

पृ.क्र./5477 /रा0मु0/गति./2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.।
2. आयुक्त, अनूसूचित जाति विकास म.प्र.श्यामला हिल्स भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध किया जाता है कि अपने संभागीय एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित करे की वे राज्य स्तरीय स्काउट-गाइड रैली में स्काउट-गाइड की उपस्थिति अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास म.प्र. सतपुडा भवन, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध किया जाता है कि अपने संभागीय एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित करे की वे राज्य स्तरीय स्काउट-गाइड रैली में स्काउट-गाइड की उपस्थिति अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त कलेक्टर महोदय जिला.....
5. राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट-गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल।
6. राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट-गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल।
7. समस्त कक्ष प्रभारी, राज्य मुख्यालय भोपाल।
8. समस्त जिला संगठक (स्का.गा.) जिला
9. वार्डन, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर, भोपाल।



राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.